Construction of Navodaya Vidyalaya Building at Vidisha

*187. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister' of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) by when the construction of building for the Navodaya Vidyalaya running jn the Shammabad town of Vidisha district of Madhya Pradesh will commence; and

(b) by when its construction work will be completed and what are the reasons for delay in the construction of this school building?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) The construction of building for Navodaya Vidyalaya, Shamsabad (Madhya Pradesh) has already commenced.

(b) The Madhya Pradesh Housing Board, which is the construction agency, has given the target date of completion of the building as July 1996. There has been delay in commencing the work due to the time taken by the construction agency in completing the formalities prescribed for the purpose.

News-Report on National Policy on Women

*188. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news-report which appeared in Times of India, dated 21.11.95 regardirig debate over National Policy on Women in New Delhi on 20.11.95 during the All India Democratic Women's Association (AIDWA) Conference;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to give job quotas for women both in Government and Private Sector, equal rights over productive resources, education, health, and 33% representation for women in Parliament and State Legislatures?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) The details of the proposed National Policy on Women are being worked out.

(c) The Constitution of India guarantees equal rights and opportunities to both men and women in the political, economic and social spheres. It also enables the State to allow affirmative discrimination in favour of women. To uphold the Constitutional mandate, the Government has enacted various legislative measures intended to ensure equal rights to women. Government has also taken a lot of affirmative action to access women to various developmental benefits. Reservation for women in Central Government jobs is under consideration of Government. At present, there is no proposal for reservation of seats for women in the Parliament or State Legislatures.

As regards reservation for women in Private Sector jobs. Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 provides for determining the extent to which women may be employed in establishments or employments.

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रावधान

*189. **श्री नागमणि**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रावधान इस क्षेत्र की जरूरत से बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या हैं;

(ग) वर्ष 1991-92,1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में कृषि क्षेत्र हेतु कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र को आवश्यकता की तुलना में वास्तव में कितनी पूंजी उपलब्ध करवाई गई;

((ड़) इस क्षेत्र में पूंजीगत निवेश में कमी आने के क्या कारण हैं;

(च) सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु अनुमानतः कितनी पूंजी की आवश्यकता हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाख़ड़): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि ऋण का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था । गत तीन वर्षो के दौरान कार्यकारी दल का वर्षवार अनुमान और वास्तव में वितरित किया गया ऋण निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कार्यकारी दल द्वारा आंकी गई ऋण की जरूरत जिसे (अनन्तिम) "नाबार्ड" ने संशोधित किया (**)	वितरित किया गया संस्थागत ऋण (अनन्तिम)
1991-92	15,129	11,202
1992-93	18,941	15,169
1993-94	22,368	16,494

** अल्पावधिक उत्पादन ऋण के अनुमानों को"नाबार्ड" ने मूल्यों में सामान्य वृद्वि और 1992-93 के दौरान उर्वरकों के आंशिक विनियंत्रण के परिणामस्वरूप उर्वरकों के मूल्यों में वृद्वि को भी ध्यान में रखते हुए संशोधित किया हैं ।

(ग) से (ड़) 1991-92,1992-93 और 1993-94 के दौरान उपलब्ध कराए गए ऋण के साथ-साथ योजना आयोग द्वारा अनुमानित आवधिक ऋणों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की पूंजी संबंधी जरूरतों के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा अनुमानित पूंजी संबंधी जरूरत	कृषि के लिए ऋण वितरण
1991-92	6231	4122
1992-93	7369	5079
1993-94	8650	5223

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट हैं कि आवधिक ऋणों के वितरण में वृद्वि हुई हैं,हालांकि कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमानों से यह कम हैं । कृषि ऋण की देय राशि की वसूली की असंतोषजनक स्थिति मुख्य रूप से धनराशि के पुनः आबंटन न किए जा सकने के लिए उत्तरदायी हैं,जिसके कारण ऋण की निरन्तरता में बाधा उत्पन्न होती हैं और ऋणदायी संस्थाओं द्वारा पुनः ऋण व्यवस्था करने की क्षमता भी घटती हैं ।

(च) भारत सरकार ने कृषि ऋण की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनमें ये शामिल हैं-(1) कृषिगत ऋण के लिए प्रतिभूति मानदंडों को उदार बनाना (2) ऋणों और पुनर्वित पर ब्याज की दरों को तर्कसंगत बनान (3) राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को धनराशि दिए जाने के अवसरों को बढ़ाना (4) विशेष रूप से जलकृषि, पुष्पोत्पादन,टिशूकल्चर आदि से संबंधित नवीन तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए विशेष शाखाएं खोलना(5) एक स्वायत्त निकाय के रूप में एक लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसघं की स्थापना करना,जिसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाकर और एक उचित प्रसंस्करण तथा विपणन तंत्र विकसित करके कृषि तथा संबद्व कार्यकलापों में रोजगार प्रदान करना और आय में वृद्वि करना हो (6) "नाबार्ड" में एक ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का सृजन किया गया हैं,ताकि चालू मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं,मृदा संरक्षण,पनधारा प्रबंधन तथा ग्रामीण अवसंरचना के अन्य रूपों को शीर्घता से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों /सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण सहायता प्रदान की जा सके ।

(छ) योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 1994-95 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए अपेक्षित अनुमानित पूंजी 10,143 करोड़ रूपये हैं ।